न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–134/2000

CIS No.-TS 134/2000

अलख कुमार मिश्र..वादी

बनाम

शेख अहमद एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
09.12.2025	वादी की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.05.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 तथा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 05 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 शेख अहमद दिनांक 03.01.2024 को अपने दो बेटा फारूख शेख और जसीम शेख को छोड़कर इन्तकाल कर गये। वाद पत्र से प्रतिवादी सं0–01 शेख अहमद का नाम कलमजद करते हुए उनके स्थान पर उनके वर्णित वारिसानों को प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी सं0–01 शेख अहमद के वारिसानों के बारे में जानकारी हासिल करने में हुए विलम्ब की वजह से आवेदन देने में विलम्ब हुआ और प्रतिवादी सं0–01 के यदि कोई अन्य वारिसान कायम हो तो उसकी जानकारी होने पर वादी इस आवेदन के समर्थन में एक पुरक आवेदन भी दाखिल करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते है। वादी जानबुझकर आवेदन देने में विलम्ब नहीं किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन देने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रतिवादी सं0–01 शेख अहमद का नाम वाद पत्र के टाईटिल पेज से कलमजद करते हुए उसके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आदेश देने की कृपा किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है और आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–134/2000

CIS No.-TS 134/2000

अलख कुमार मिश्र...वादी

बनाम

शेख अहमद एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **09.12.2025**	विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 शेख अहमद की मृत्यु हो चुकी है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.05.2024 स्वीकार किया जाता है तथा मृतक प्रतिवादी सं0–01 शेख अहमद का नाम वाद पत्र से कलमजद करते हुए उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादी प्रतिस्थापन करें। तदपश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। वाद दिनांक 05.01.2026 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	